राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर

क्रमांकः नर्सिंग/नर्स–2/(सीधी भर्ती 2013)/टी–13/2018/ 171 दिनांकः 10/5/18

आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 3679/2016 श्रीमती तुलसी भाण्ड (अभ्यर्थी नर्स द्वितीय) बनाम सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 04.07.2017 की पालना में याचिकाकर्ता श्रीमती तुलसी भाण्ड पुत्री श्री भैरूलाल भाण्ड का नर्स द्वितीय के पद पर चयन कर राजस्थान सिविल सर्विसेज (संशोधित वेतन) नियम, 2017 के नियम 16 के शिड्यूल IV के L-11 में वर्णितानुसार कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान कर इनका पदस्थापन इनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर किया जाता है :–

S. NO.	Appl No.	Applicant Name	Father's Name	Date of Birth	Gender	Category	Other Special Categories	Applic able 85 %	Bonus Marks as per Verified Exp.	Total	Place of Posting Under CMHO
1	6020023885	Tulsi Bhand	Bheru Lal Bhand	2-Jun-88	Female	S.C.	NA, NA	57.843	0	57.843	Jaisalmer

चयनित अभ्यर्थी को दो वर्ष के प्रोबेशन काल में वित्त विभाग के परिपत्र संख्याः–एफ 15(1)/एफडी (रूल्स)/2017 दिनांक 30.10.2017 के क्रम में राजस्थान सिविल सर्विसेज (संशोधित वेतन) नियम, 2017 के नियम 16 के शिड्यूल IV के L-11 के अनुसार निर्धारित नियत पारिश्रमिक (Fix Remuneration) रूपये 26500/– प्रतिमाह कार्यग्रहण करने की तिथि से देय होगा। दो वर्ष का प्रोबेशन काल संतोषजनक पूर्ण करने पर इन्हें नर्स श्रेणी द्वितीय के पद की नियमित पे–मेट्रिक्स 'L-11' में न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

यह पदस्थापन सूची रिट संख्या 235/2016 द्वारा श्री रनधीर सिंह डागुर एवं श्री विनय प्रकाश तिवाडी व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित अंतरिम निर्णय दिनांक 29.01.2016 के अध्यधीन तथा माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली एवम् माननीय उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर व अन्य माननीय न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों में पारित होने वाले निर्णयों के अध्यधीन रहेगी।

पदस्थापन सूची निम्न शर्तों के अध्यधीन जारी की जा रही है:–

1. उपरोक्त वर्णित अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करवाये जाने से पूर्व निदेशालय के आदेश क्रमांक नर्सिंग/पैरामेडीकल/सीधी भर्ती–2013/2015/390 दिनाँक 18.09.2015 जिसकी प्रति पूर्व में ई–मेल द्वारा प्रेषित की जा चुकी है, (प्रति पुनः संलग्न हैं) में उल्लेखित अनुसार जिला स्तर पर जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निदेशालय के पत्र संख्या नर्सिंग/पैरामेडीकल/सीधी भर्ती–2013/ 2015/391 दिनाँक 18.09.2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशों, विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तो की पूर्ति बाबत पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही कार्यग्रहण कराया जायेगा।
2. परिवीक्षा अवधि में अन्य सुविधायें एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों एवं यथा संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।
3. वित्त विभाग के परिपत्र संख्याः एफ.13 (1)/एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 28.01.04 के अनुसार उक्त नवनियुक्त कर्मचारियों पर अंशदायी पेंशन योजना परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लागू होगी।
4. उपरोक्त वर्णित अभ्यर्थी की जन्म तारीख उनके सैकेण्ड्री के मूल प्रमाण पत्रों में उल्लेखित जन्मतिथि का जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा सत्यापित किया जाना है।
5. दिनांक 01.06.2002 अथवा उसके पश्चात् दो से अधिक संतान वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। इस आशय का शपथ पत्र संबंधित अभ्यर्थी से उपस्थिति के समय प्राप्त किया जावेगा।
6. अभ्यर्थी द्वारा इस आदेश की प्रति का प्रिंट विभाग की वेबसाईट से डाउनलोड कर उपस्थिति प्रस्तुत की जा सकती है। अभ्यर्थी जिनका पदस्थापन किसी भी संस्थान में किया गया हो प्रथमतः अपनी उपस्थिति संबंधित मुख्य चिकि0 एवं स्वा0 अधिकारी, कार्यालय में ही देगें। संबंधित सीएमएचओ द्वारा

जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंषा के उपरांत जिला कलेक्टर के अनुमोदन से अभ्यर्थियों को अपने अधीन अथवा जिन संस्थानों में पदस्थापन किया गया है में पदभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करेगें।

7 उक्त अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करते समय उक्त समिति के सम्मुख स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, पुलिस वेरीफिकेशन प्रमाण पत्र, शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता, जाति, आरएनसी का 02.4.13 तक पंजीयन एवं कार्यग्रहण करने की तिथि तक नवीनीकृत पंजीयन प्रमाण पत्र व अन्य प्रमाण पत्रों की छायाप्रति जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न की है, के मूल दस्तावेजो के साथ प्रस्तुत करने होगें। सभी छाया प्रति स्वप्रमाणित प्रस्तुत करनी होगी। समक्ष अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (मेडिकल ज्यूरिष्ठ/मु. चि.एवं स्वा.अधि.) एवं सबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र ही मान्य होगें।

8 अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रमाण पत्र/दस्तावेज फर्जी, परिवर्तित अथवा कूटरचित पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जावेंगे। साथ ही दोषी के विरूद्ध न्यायिक/दण्डिक कार्यवाही की जावेगी।

9 अभ्यर्थी का पदस्थापन जिस संस्थान में किया गया है उस संस्थान के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अभ्यर्थी के समस्त मूल दस्तावेज प्राप्त कर जारी करने वाली सबंधित संस्था से सत्यापन करायेगें। सत्यापन होने एवं सही पाये जाने पर ही अभ्यर्थी को उनके मूल दस्तावेज लोटाये जावेगें। अन्य परिस्थिति में प्रमाण पत्र वापस नहीं किए जावेंगे। यदि कोई दस्तावेज फर्जी अथवा कूटरचित पाया जावे तो तत्काल निदेशालय से मार्ग दर्शन प्राप्त करें।

10 यह नियुक्तियॉ संबंधित सेवा नियमों एवं सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं शर्तो के अध्यधीन है।

11 राज्य सरकार के परिपत्र कमांक प. 6(19) गृह–13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा यदि विवाह पंजीयन नहीं करवाया गया है तो वे इस नियुक्ति के पात्र नहीं माने जावेंगे। परिपत्र दिनांक 22.05.2006 के जारी होने से पूर्व विवाहित अभ्यर्थियों को इस आशय का नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

12\. अन्य पिछडा वर्ग एवं विशेष पिछडा वर्ग का नवीनतम जाति प्रमाण पत्र कार्यग्रहण करने की तिथि से छःमाह पूर्व तक की अवधि का राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया हुआ होना चाहिये, जिसमें कीमीलेयर/नॉनकीमीलेयर की प्रविष्टि स्पष्टतः अंकित होनी चाहिये। इन वर्गो के कीमीलेयर अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है।

13 नवचयनित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र भी लिया जावे कि उनके द्वारा किसी भी प्रकार का धुम्रपान अथवा नशा नहीं किया जावेगा।

14 जिन अभ्यर्थियों को चयन में अनुभव के आधार पर बोनस अंक दिये हैं, उन्हें विज्ञप्ति में अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के लिये अधीकृत अधिकारी द्वारा जारी मूल अनुभव प्रमाण पत्र कार्य ग्रहण के समय प्रस्तुत करना होगा।

15 ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें अन्य राज्यों में एनआरएचएम योजना के अन्तर्गत कार्य अनुभव के आधार पर बोनस अंकों का लाभ दिया गया है इन अभ्यर्थियों का आवेदन करने की अन्तिम तिथि 02.04.2013 को राजस्थान नर्सिंग कौंसिल में पंजीयन एवं कार्य ग्रहण तिथि को पंजीयन नवीनीकृत होना अनिवार्य है।

16 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उनके अधीन पदस्थापित अभ्यर्थियों के पदस्थापन आदेश जिला कलेक्टर के अनुमोदन पश्चात जारी किये जावेगें।

17 अभ्यर्थी के पुलिस चरित्र सत्यापन के संबंध कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 15.07.2016 के अनुसार कार्यवाही की जांयेगी।

18 इस आदेश की पालना में कार्यग्रहण किये जाने की अंतिम तिथि **30.05.2018** निर्धारित है। निर्धारित तिथि पश्चात् आदेश स्वतः ही निरस्त समझें जावेगें।

Sd

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः नर्सिग/नर्स–2/(सीधी भर्ती 2013)/टी–13/2018/171 दिनांकः 10/5/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निजी सचिव, माननीय मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।

2 निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
4 निजी सचिव, शासन सचिव, चि0 एवं स्वा0 विभाग एवं मिशन निदेशक, एनएचएम,राज0, जयपुर।
5 संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6 संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप– 3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7 संबंधित जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान।
8 निदेशक, (जन स्वा./आर.सी.एच.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान जयपुर।
9 उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
10 श्री श्याम आर्य, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
11 उप निदेशक (प्रशासन), मुख्यालय।
12 संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
13 संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रेषित कर लेख हैं कि निदेशालय के आदेश संख्या 390 दिनाँक 18.09.2015 की पालना में तत्काल संबंधित जिला कलेक्टर महोदय से सम्पर्क कर जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि की अध्यक्षता में गठित समिति की अध्यक्षता हेतु जिला कलेक्टर से प्रतिनिधि मनोनीत करवाऐं तथा समिति की बैठक आयोजित करवाकर निदेशालय के आदेश क्रमांक 391 दिनाँक 18.09.2015 में वर्णित समस्त बिन्दुओं तथा निम्नांकित बिन्दुओं पर सत्यापन/परीक्षण की कार्यवाही करके अभ्यर्थियों को उनके पदस्थापन स्थान के लिये जिला कलेक्टर के अनुमोदन के उपरान्त आदेशित करें :–

(i) अभ्यर्थी का जिस जाति वर्ग(ओबीसी/एसबीसी/एससी/एसटी/एससी टीएसपी/एसटी टीएसपी /सहरिया) में चयन हुआ हैं उसके संबंध में कार्यग्रहण तिथि को वैद्य मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने एवं उसके सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण कराया जावे।

(ii) जिन अभ्यर्थीयों का चयन एसटी (टीएसपी)/एससी (टीएसपी) क्षेत्र के निवासी अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पदो के विरूद्ध किया गया है उनके द्वारा टीएसपी क्षेत्र का विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही कार्यग्रहण करावें।

(iii) ~~ओबीसी/एसबीसी वर्ग में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा कार्यग्रहण तिथि को वैद्य नवीनतम जाति प्रमाण पत्र (नॉन क्रिमीलेयर) प्रस्तुत करने पर ही कार्यग्रहण करावें।~~

(iv) आरक्षित वर्ग की महिला अभ्यर्थियों द्वारा जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम अथवा पिता एवं पति दोनो के नाम से राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होने पर ही कार्यग्रहण करावे, केवल पति के नाम से जारी प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं हैं।

(v) शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता के मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर एवं सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण कराया जावें।

(vi) अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में अंकित अंको तथा आवेदन के साथ प्रस्तुत अंकतालिका की छायाप्रति के आधार पर मेरिट में अंक उल्लेखित किये गये है। यदि अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत मूल अंकतालिकाओं के अंको में भिन्नता हो तो कार्यग्रहण नही कराया जावे।

(vii) राज्य एवं राज्य के बाहर के शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के अध्यधीन कार्यग्रहण करावे तथा संबंधित संस्था से सत्यापन हो जाने एवम् सही पाये जाने के पश्चात ही प्रार्थी को मूल दस्तावेज लौटावें।

(viii) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में दिये गये तथ्य तथा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के सही होने बाबत संलग्न प्रपत्र में शपथ प्रस्तुत कराना होगा।

(ix) दस्तावेजो में किसी भी प्रकार की कांट–छांट/कूटरचित हो तो तत्काल निदेशालय को अवगत करावें एवं अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण नही करावें।

(x) उक्त निर्देशों के अतिरिक्त अन्य प्रचलित नियमों की पालना सुनिश्चित करें।

(xi) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उक्त अभ्यर्थी को जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि की अध्यक्षता में गठित समिति तथा जिला कलेक्टर अनुमोदन के पश्चात संबंधित संस्थान में कार्यग्रहण करने हेतु अभ्यर्थियों को लिखित आदेश देंगे।

14 संबंधित चयनित अभ्यर्थिया को निर्देशित किया जाता हैं कि वह सर्वप्रथम अपने मूल दस्तावेजों के साथ अपनी उपस्थिति संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करेगें। उसके पश्चात मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से लिखित आदेश प्राप्त कर उनके लिये आवंटित स्थान पर पदभार ग्रहण करे।

15 प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।

16 आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान जयपुर।